राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./07/12980 जयपुर, दिनांकः 15.07.2020

कार्यालय आदेश......18.../2020

परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 4 के खण्ड (C) के अंतिम परन्तुक को अधिसूचना संख्या एफ 6(262)परि/कर/मु./07/12391 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के तहत् ट्रेड सर्टिफिकेट धारक (वाहन डीलर) के स्तर पर राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत नये वाहन के प्रथम विक्रय पर संदेय एकबारीय कर को वसूल किया जाना एवं जमा किया जाना अनिवार्य किया गया है।

इस संबंध में नियम 4(C) के पूर्व के परंतुक एवं कार्यालय आदेश संख्या 10/2017 दिनांक 06.04.2017 द्वारा केवल गैर परिवहन वाहनों हेतु ही प्रथम विक्रय पर एकबारीय कर को वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य किया गया था। अब अधिसूचना दिनांक 08.07.2020 द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम 4(C) के अंतिम परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाकर गैर परिवहन वाहनों के साथ–साथ ऐसे परिवहन यान जिन पर एकबारीय कर देय बनता है, पर भी प्रथम विक्रय पर वाहन डीलर के स्तर पर एकबारीय कर का जमा किया जाना अनिवार्य किया गया है।

अतः विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 08.07.2020 (प्रति संलग्न) के क्रम में तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 10/2017, दिनांक 06.04.2017 की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. **गैर परिवहन यानों के अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व एवं स्थाई पंजीयन करने से पूर्व डीलर्स/सब डीलर्स द्वारा विक्रय किये जाने वाले वाहन के लिये एकबारीय कर वसूलने एवं जमा किये जाने की वर्तमान/विद्यमान व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।**
2. **अधिसूचना दिनांक 08.07.2020 के अनुसार निम्न श्रेणी के वाहनों पर देय एकबारीय कर को प्रथम विक्रय के समय ट्रेड सर्टिफिकेट धारक वाहन डीलर के स्तर पर ही जमा किया जाना आवश्यक होगा –**

(a) दुपहिया/चार पहिया वाहन (गैर परिवहन एवं परिवहन यान)।
(b) तिपहिया यात्री वाहन (गैर परिवहन एवं परिवहन यान)।
(c) टैक्सी/मैक्सी केब।
(d) कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं टूरिस्ट परमिट वाहन (बैठक क्षमता 22 तक)।
(e) भार वाहन(जी.वी.डब्ल्यू. 16500 किग्रा तक)।
(f) अन्य वाहन जैसे – लोडर, केम्पर, केश वेन, मोबाईल केन्टिन आदि।
(g) निजी सेवायान (बैठक क्षमता 22 तक)।
(h) बैठक क्षमता 10 तक के शैक्षणिक वाहन।
(i) Vehicle fitted with equipment
(j) संनिर्माण उपस्कर यान (Construction Equipment Vehicle)
(k) प्योरली ऑफ हाईवे व्हीकल (Purely Off Highway Vehicle)।

Scanned by CamScanner

3. उक्त नियम के तहत् उपरोक्त क्र.सं. (a) से (k) तक की श्रेणी के वाहनों के डीलर्स/सब–डीलर्स को वाहन के विक्रय के साथ वाहन की डिलीवरी करते समय निम्न शर्तो की पालना किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

- उक्त वाहनों के डीलर्स/सब–डीलर्स द्वारा वाहन के विक्रय के पश्चात् यदि वाहन का पंजीयन राजस्थान राज्य में होना है तथा इस हेतु अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है तो ऐसे वाहन पर देय एकबारीय कर को वसूल कर 'वाहन 4.0' के माध्यम से संबंधित परिवहन जिले जिसके पते पर विक्रय पत्र जारी किया गया है, के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेगें। किसी भी स्थिति में डीलर/सब–डीलर द्वारा अस्थायी पंजीयन वाले वाहन की डिलीवरी संबंधित जिले में 'वाहन–4.0' पोर्टल पर देय कर जमा कराये बगैर नहीं की जायेगी।
- ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर/सब–डीलर उपरोक्त श्रेणी क्र.सं. (a) से (k) पर उल्लेखित सभी यानों का अस्थायी पंजीयन करते समय विभाग द्वारा उस वाहन के लिए नियत कर की सम्पूर्ण राशि को वसूल कर जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। देय कर की संपूर्ण राशि वसूल किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित डीलर/सब–डीलर की होगी।
- वाहन डीलर्स/सब–डीलर्स द्वारा वाहन क्रेता को 'वाहन 4.0' सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमा कराये गये कर की रसीद प्रदान की जायेगी। इस रसीद की सहायता से क्रेता संबंधित जिले में अपने वाहन का पंजीयन करवा सकेंगे।
- डीलर/सब–डीलर अपने द्वारा इस प्रकार जमा कराये गये कर की सूचना संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को ई–मेल पर उपलब्ध कराई जायेगी।
- वाहनों पर देय कर विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के तहत् संदेय होगा। कर वसूली एवं वसूली गई राशि के जमा कराने में विलंब पर निर्धारित शास्ति/ब्याज राशि देय होगी।
- जमा कराये गये एकबारीय कर का त्रेमासिक रूप से अंकेक्षण संबंधित कार्यालय के लेखा कर्मियों द्वारा किया जायेगा। कराधान अधिकारी कर की पूर्ण वसूली एवं जमा होने की सुनिश्चितता के लिये व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

दोष के लिए दायित्व

ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर/सब–डीलर के निम्नलिखित कृत्य दुराचरण व अनियमितता की श्रेणी में माने जायेंगे, जिसके के लिए वह उत्तरदायी होगा –

I. निर्धारित एकबारीय कर वसूल नहीं किया जाना।
II. अस्थायी पंजीयन किये जाते समय वाहनों से नियमानुसार संग्रह किये गये एकबारीय कर से कम राशि राजकोष में जमा कराना।
III. वाहनो की डिलिवरी बिना एकबारीय कर जमा कराये करना।
IV. विभाग द्वारा राजकीय राशि राजकोष में जमा कराये जाने हेतु समय–समय पर निर्धारित अवधि में संग्रह किया गया कर राजकोष में जमा नही कराना।
V. वाहन के जमा किये गये कर की एक प्रति वाहन क्रेता को जारी नही करना।

Scanned by CamScanner

ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर/सब–डीलर द्वारा निर्धारित शर्तो की अवहेलना करने पर दण्ड

- ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर/सब–डीलर द्वारा निर्धारित शर्तो की अवहेलना करने पर संबंधित पंजीयन अधिकारी ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर/सब–डीलर को नोटिस जारी कर एवं सुनवायी का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ट्रेड सर्टिफिकेट निलबंन/निरस्तीकरण या आर्थिक दण्ड अथवा दोनो की कार्यवाही कर सकेंगे।
- राजस्व हानि पहुंचाने पर डीलर/सब–डीलर के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही/एफ.आई.आर. करवाई जा सकेगी।
- डीलर/सब–डीलर के संबंधित व्यक्ति/फर्म को ब्लेक लिस्टेड किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में परिवहन आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर/सब–डीलर के लिए बाध्यकारी होगा।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित पंजीयन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./07/12981-90 जयपुर, दिनांकः 15.07.2020

प्रतिलिपि :– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।
5. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
6. सिस्टम एनालिस्ट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना हेतु 'वाहन–4.0' सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करायें एवं विभागीय वेबसाइट पर उक्त आदेश को अपलोड़ करायें।
7. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
8. समस्त जिला परिवहन अधिकारी/पंजीयन अधिकारियों को भेजकर लेख है कि उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत वाहन डीलर्स/सब–डीलर्स को सूचित करते हुये उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करायें।
9. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिएशन, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)

Scanned by CamScanner